न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 21/2023

प्रार्थी

चन्दन कुमार पुत्र स्वर्गीय वालचन्द जी, जाति– खण्डेलवाल, निवासी– उपासरा गली, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण

1. भंवरीदेवी पत्नी स्वर्गीय अमीचन्द जी, जाति– खण्डेलवाल, निवासी– उपासरा गली, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही, (वर्तमान में ग्राम पंचायत, जावाल)

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री रामकरण वैष्णव, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से।
(2) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) भंवरीदेवी की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक 12 सितम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार ने यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी भंवरीदेवी पत्नी अमीचन्द जी, जाति– खण्डेलवाल, निवासी– जावाल के हक में क्षेत्रफल 1960 वर्गफीट भूमि का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत जारी पट्टा संख्या 49 दिनांक 22–3–2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) भंवरीदेवी की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 (एक) भंवरीदेवी की ओर से लिखित जबाव प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) की ओर से वकील श्री कैलाशनामा ने जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी गई, लेकिन बहस हेतु नियत तिथि को उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 03–9–2025 को बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी निगरानीकार के वकील ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी के दादा स्वर्गीय हंजारीमल पुत्र पुनमाजी, जाति खण्डेलवाल, निवासी जावाल के स्वामित्व व आधिपत्य का एक मकान उपासरा गली में आबादी क्षेत्र में आया हुआ है, जिसका विद्युत कनेक्शन प्रार्थी के दादा हंजारीमल के नाम से जारी किया हुआ है। हंजारीमल के पांच पुत्र थे, जिसमें रमेश कुमार की मृत्यु हो चुकी है। हंजारीमल के शेष चार पुत्र देवीचंद, वालचंद, अमीचंद व भंवरलाल थे, जिसमें से अमीचंद व वालचंद की मृत्यु हो चुकी है। वालचंद जी के पुत्र प्रार्थी सहित अन्य चार भाई भरत कुमार, राकेश कुमार व गिरीश है। अप्रार्थीया भंवरी देवी अमीचंद की पत्नी है। उक्त सम्पत्ति हमारे दादा स्वर्गीय हंजारीमल पुत्र पुनमाजी के मालकी व स्वामित्व, आधिपत्य की है, तथा उनके जीवनकाल में ही हंजारीमल ने उक्त भूमि पर स्वअर्जित आय से मकान निर्माण करवाया हुआ है एवं विद्युत कनेक्शन अपने नाम से लिया था। स्वर्गीय हंजारीमलजी की मृत्यु दिनांक 24–05–2003 को हो चुकी है एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त सम्पत्ति वारिसान में सभी भाईयों को प्राप्त हुई है एवं सभी भाईयों का कब्जा, आधिपत्य है। प्रार्थी व्यवसाय हेतु बाहर जाता रहता है एवं अपने हक हिस्से अनुसार कमरे बांट

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कर सबने अपना—अपना सामान रखा हुआ है, लेकिन अप्रार्थीया व उसका पुत्र जावाल में ही निवास करते है। प्रार्थी के दादा हंजारीमल की सम्पति को हडप करने हेतु अप्रार्थीया ने उसके पुत्र दीपक कुमार के द्वारा दादा हंजारीमल के नाम से लिया हुआ विद्युत कनेक्शन हटा कर स्वयं के नाम से विद्युत कनेक्शन झूठा शपथ पत्र पेश कर लिया एवं शपथ पत्र में अंकित किया कि उक्त मकान हमारे दादा हंजारीमल का ही है, लेकिन हमे प्राप्त हुआ है, वगैराह पर विद्युत कनेक्शन अपने नाम पर करवाकर बाद में अप्रार्थीया ने जावाल ग्राम पंचायत के साथ मेल मिलाप कर पट्टा संख्या 49 दिनांक 22.03.2021 को अपने नाम से जारी करवा दिया, जो सर्वथा विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज के है। ग्राम पंचायत जावाल द्वारा घोर अनियमितता करके जावाल में रेवडी की तरह पट्टे बांटे है, जिसका पंचायत में तथा पूर्व की नगर पालिका में इन्द्राज ही नहीं है। उक्त कृत्य के कारण विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा एक एफ.आई.आर. संख्या 80/2022 को दर्ज करवायी गयी, जिसमें तथाकथित पट्टा संख्या 49 में सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर ही नहीं है, बाबत् का कथन किया गया है। नगर पालिका के पास पत्रावली उपलब्ध नहीं थी एवं नगर पालिका हटने के पश्चात् ग्राम पंचायत के साथ मेल मिलाप कर अप्रार्थीया द्वारा जवाब दिनांक 18—06—2025 को पेश किया गया। जिसमें पट्टे की प्रमाणित प्रति व बैठक रजिस्टर की प्रमाणित प्रति के साथ रेकर्ड पेश किया। देखने वाली बात यह है कि जब विकास अधिकारी, पं.स. सिरोही द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज की जाती है एवं पट्टों का अवलोकन किया जाता है तो पट्टा संख्या 49 में सरपंच व विकास अधिकारी के हस्ताक्षर ही नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2025 में पट्टे की प्रति इस न्यायालय में पेश की जाती है। सरपंच व ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर के अभाव में पट्टा स्वतः ही काबिल खारिज है। अप्रार्थीया द्वारा दिये गये अपने जवाब में यह कथन किया है कि अमीचंदजी ने अपने जीवनकाल में ही खुद की निजी आय से भूमि पर एक अलग मकान का निर्माण किया था, जबकि वास्तविकता यह है कि पट्टा नियम 157 के तहत् जारी किया गया है एवं नियम 157 के तहत् पुराना गृहों का विनियमितीकरण के आधार पर पट्टे जारी किये जाते है, न तो अप्रार्थीया के स्वामित्व की उक्त भूमि है, जिस पर वर्ष 2016 से 70 वर्ष पूर्व का कब्जा व निर्माण कार्य होना अनिवार्य है औरं 300 वर्गगज तक की भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा 200/— रूपये में जारी किया जा सकता है एवं 300 वर्गगज से उपर भूमि का पट्टा अगर कब्जे के आधार पर किया जाता है तो 300 वर्गगज के उपर की भूमि व उस पर किया गया संनिर्माण की राशि का 25 प्रतिशत ग्राम पंचायत में जमा करवाकर पट्टा विलेख जारी किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त मांगीलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य 2017(2) CJ Civil Raj. 1185 में प्रतिपादित किया गया है कि नियम 157 के तहत् पुराने गृहों का विनियमितिकरण 300 वर्गगज तक की भूमि का 200/— रूपये में किया जा सकता है, 300 वर्गगज से उपर की भूमि का संनिर्माण सहित 25 प्रतिशत की राशि लेकर नियमानुसार किया जाना चाहिए, जबकि अप्रार्थीया को ग्राम पंचायत जावाल द्वारा मात्र 200/— रूपये में जारी किया गया है, जो नियमों के खिलाफ होने से काबिल खारिज है। अप्रार्थीया के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 के तहत नियमितिकरण का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अप्रार्थीया का न तो उक्त भूमि पर कब्जा है एवं न ही कब्जे का कोई आधार है, इसलिये पट्टा विधि विरूद्ध तरीके से जारी किया हुआ है, क्योंकि अप्रार्थीया द्वारा 70 वर्ष से उपर का कब्जे का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मात्र लाईट बिल अपने पुत्र के नाम से करवाकर सम्पत्ति हडप करने हेतु झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर पंचायत के साथ मेल मिलाप कर पट्टा जारी करवाया गया है, इस सम्बन्ध में माननीय राज, उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त जौहरीलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, दिनांक 16—8—2018 में

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला न्यायालय *सिरोही*

प्रतिपादित किया गया है कि कब्जे का वास्तविक आधार होना चाहिए एवं कब्जे के आधार पर ही भूमि का पट्टा आवंटित किया जा सकता है, जिस पर वास्तविक कब्जा होना चाहिए, एवं उस पर निर्माण भी होना चाहिए मात्र खाली भूखण्ड पर पट्टा विलेख जारी नहीं किया जा सकता, जबकि अप्रार्थीया द्वारा विक्रय विलेख का पट्टा बनने के पश्चात् बेचान किया जाता है, उक्त विक्रय विलेख दिनांक 02–01–2023 में पृष्ठ संख्या 3 (तीन) के सबसे नीचे पैरा में स्वयं द्वारा अंकित किया जाता है कि भूखण्ड आवासीय उपासरा गली में ग्राम जावाल में आया हुआ है, जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य किया हुआ नहीं है तो अगर भू:खण्ड पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया हुआ नहीं है तो नियम 157 के तहत् पट्टा जारी नहीं किया जा सकता, फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा नियमों को ताक में रखकर पट्टा विलेख अपने नाम से जारी करवाया जो विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज के है। पट्टा विलेख बनने के पश्चात् उसका पंजीयन करवाया गया, अप्रार्थीया ने अपने जवाब में यह कथन किया है कि अपने पट्टे का पंजीयन करवाया गया है अगर पट्टे का पंजीयन भी करवाया जाता है, तो नियम विरूद्ध अगर पट्टा जारी किया गया है, तो उसे रद्द किया जा सकता है, जैसा कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त घेवरचंद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2017(3)CJ Civil Raj.1488/2018(11) व ईशाक खान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 2019(1) CJ Civil Raj. डी.बी. में प्रतिपादित किया गया है। नियम 157 के तहत् पुराने गृहों का नियमन किया जाता है, अप्रार्थीया अपने जवाब के पद संख्या 3 (तीन) में कथन करती है कि अमीचंदजी के जीवनकाल में ही उक्त मकान का निर्माण करवाया था, जबकि हकीकत यह है कि अगर निर्माण 70 वर्ष पुराना हो और कब्जा 70 वर्ष पुराना हो तो नियम 157 के तहत् ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकता है। उक्त पट्टा कब्जे के आधार पर जारी किया जाता तो उस समय अमीचंद की उम्र मात्र 5 या 6 वर्ष रही हो, तो मकान निर्माण करवाने का औचित्य ही पैदा नहीं होता है। अप्रार्थीया द्वारा जवाब के पैरा संख्या 3 (तीन) में कथन किया गया है कि पेढी पत्रक सही है लेकिन हंजारीमल का कोई मकान उपासरा गली जावाल में आया हुआ नहीं है। जबकि विद्युत कनेक्शन हंजारीमल के नाम से लिया हुआ है एवं अप्रार्थीया का पुत्र दीपक कुमार उक्त भू:खण्ड पर अपने नाम से विद्युत कनेक्शन लेते समय अपने हल्फनामें में यह कथन करता है कि मेरे दादा के स्वामित्व व आधिपत्य का मकान है एवं उपासरा गली में आया हुआ है एवं पद संख्या 4 (चार) में वापस अप्रार्थीया द्वारा इसी मकान में कनेक्शन लेने को स्वीकार किया गया है। अप्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है, इसलिये पट्टा विलेख रद्द किया जाना अति आवश्यक है। नियम 157 के तहत् ग्राम पंचायत जावाल द्वारा जो पट्टा विलेख जारी किया है, वो काबिल खारिज है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त मुनेश देवी बनाम अति. जिला कलेक्टर, डी.बी. विशेष अपील (डब्ल्यू) (संख्या 1382/2012) एवं विशेष अपील संख्या 1384/2012 (23 फरवरी 2015) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि नियम 157 के तहत् पट्टा विलेख परिवार के एक सदस्य के नाम से पुराने गृहों का विनियमितिकरण किया जा सकता है एवं सम्पत्ति का एक ही पट्टा जारी हो सकता है। उक्त प्रकरण में पट्टा विलेख ग्राम पंचायत द्वारा तीन पट्टे परिवार के तीन सदस्यों के नाम से जारी किये थे। अनवानी प्रकरण में भी अप्रार्थीया के अलावा उसके पुत्र मनीष कुमार के नाम से भी एक पट्टा विलेख संख्या 48 जारी किया हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुनेश देवी के प्रकरण में परिवार के तीन सदस्यों के नाम से जो तीन पट्टे जारी किये थे, उसे नियमों के विरूद्ध होने से खारिज किया था। ग्राम पंचायत जावाल द्वारा भी अप्रार्थीया के साथ मेल मिलाप कर पट्टा संख्या 49 व पट्टा संख्या 48 अप्रार्थीया व उसके पुत्र के नाम से जारी किये हुये है। उक्त पट्टों के उपर पंचायत

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

समिति के विकास अधिकारी द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसमें पट्टा संख्या 49 में सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है तथा पट्टा संख्या 48 में ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन पंचायत द्वारा झूठे दस्तावेज पेश किये जाते है एवं बाद में मेल मिलाप कर उक्त पट्टों के उपर हस्ताक्षर भी किये जाते है, जबकि जांच के समय पट्टों पर हस्ताक्षर ही नहीं है। उक्त सम्पत्ति उपासरा गली में आई हुई है तथा प्रार्थी के परदादा पुनमाजी के स्वामित्व आधिपत्य की है तथा पुनमाजी के पुत्र हंजारीमल द्वारा उक्त भूमि पर कच्चा निर्माण हटाकर पक्का निर्माण करवाया था, तब से ही हंजारीमल कब्जे, काबिज है तथा उक्त सम्पत्ति वारिसान में प्राप्त हुई है तथा प्रार्थी व अन्य का कब्जा, आधिपत्य है। मात्र प्रार्थी के व्यवसाय हेतु बाहर जाने का फायदा उठाकर जो विद्युत बिल अपने दादा हंजारीमल के नाम से था, उसका संशोधन झूठा शपथ पत्र देकर दीपक कुमार ने अपने नाम से करवाया एवं परिवार के दो सदस्यों के नाम से पट्टा संख्या 48 व 49 दिनांक 22—03—2021 को जारी करवाये। मात्र सम्पत्ति हडपने के उद्देश्य से एवं उसे अन्य जगह खुर्द—बुर्द कर सदोष लाभ प्राप्त करने हेतु बेचान भी अप्रार्थी व उसके पुत्र ने कर दिया, लेकिन मौके पर वर्तमान में संयुक्त रूप से हंजारीमल के परिवार कब्जे, काबिज है। विकास अधिकारी द्वारा पट्टा संख्या 48 व 49, को प्रथम सूचना रिपोर्ट में हस्ताक्षर पंचायत के रेकर्ड में होना नहीं बताया जाता है तथा अप्रार्थी के कब्जे, स्वामित्व बाबत का कोई प्रमाण नहीं है एवं पट्टा विलेख 200/— रूपये पर जारी किया गया है, जो नियम 157 के तहत् विधि विरूद्ध है, क्योंकि पट्टा विलेख 300 वर्गगज से उपर है तथा 25 प्रतिशत राशि अधिरोपित ग्राम पंचायत द्वारा मेल मिलाप कर नहीं की गई है। ग्राम पंचायत के अधिकारियों द्वारा भारी अनियमितता करके एक ही दिन में सैकडों पट्टे जारी किये गये है और एक ही परिवार के दो सदस्यों के नाम से पट्टे नियम 157 के तहत् जारी किये है, जो काबिले खारिज है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (भंवरी देवी) के हक में जारी पट्टा संख्या 49 दिनांक 22—3—2021 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (भंवरीदेवी) के विद्वान अधिवक्ता ने जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का उपासरा गली जावाल मे न तो कोई भूखण्ड आया हुआ हैं न ही मकान है और न ही कोई ऐसा मकान या भूखण्ड प्रार्थी के दादा हंजारीमलजी पुत्र पुनमाजी खण्डेलवाल के स्वामित्व व आधिपत्य का है। जबकि सही हकीकत यह है कि प्रार्थी के दादा हंजारीमलजी व उनके पुरे परिवार का निवास स्थान गोल कालन्द्री रोड़ पर अम्बाजी मंदिर के पास रहा है। जिसमें प्रार्थी के दादा हंजारीमल व उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र देवीचंद, वालचंद, अमीचंदजी व भंवरलालजी ने निवास किया है एवं उक्त मकान पर हंजारीमलजी ने विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ था। यह बात सही है कि हंजारीमलजी के 5 पुत्र थे जिसमें से पुत्र रमेश की नाऔलाद फौत हो गई, परन्तु प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में दर्शित नाप व चतुदर्शी के भूखण्ड या मकान पर न तो कभी हंजारीमलजी का कब्जा रहा और न ही उनकी मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थीया के पति अमीचंदजी को छोडकर हंजारीमल जी के किसी अन्य पुत्र का कोई कब्जा व हक अधिकार रहा है। प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में वही नाप व चतुदर्शी दर्शित की है जिसका पट्टा ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थीया के नाम से जारी किया हुआ है। जिस भूमि का पट्टा अप्रार्थीया को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है उसका पट्टा प्रार्थी के दादा या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जारी किया हुआ नहीं है यदि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जारी किया हुआ होता तो ग्राम पंचायत कभी भी उस भूखण्ड का पुनः पट्टा जारी नहीं करती तथा प्रार्थी के दादा हंजारीमल जी के नाम से कभी भी कोई पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया हुआ है, जबकि सही हकीकत यह है कि

......पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

हंजारीमलजी के पुश्तैनी भूखण्डों का पट्टा हंजारीमलजी ने अपने जीवनकाल में अपने दोनो बडे पुत्र देवीचंदजी व वालचंदजी के नाम से जारी करवाये हुये है, जिसके पट्टा संख्या 260, 261 तथा पट्टा संख्या 22 व पट्टा संख्या 11 है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन में सर्वथा मनगढन्त व काल्पनिक तथ्य अंकित किये हुए है। हंजारीमलजी ने अपने जीवनकाल में अपनी पुश्तैनी संयुक्त सम्पत्ति के पट्टे अपने बड़े पुत्रों के नाम से जारी करवाये थे जिसमें हंजारीमलजी अपने जीवनकाल में अपने परिवार के साथ व उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके चारों पुत्रों ने उन मकानों का उपयोग उपभोग किया है तथा अप्रार्थीया के पति अमीचंदजी ने अपने जीवनकाल में अपनी खुद की निजी आय से ग्राम जावाल की आबादी भूमि में एक अलग मकान का निर्माण करवाया था, जिसमें 3 रूम व 2 हॉल बने हुए है। जिसकी आधी भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत जावाल द्वारा अप्रार्थीया के नाम से जारी किया है एवं अप्रार्थीया के पति के इस मकान का उपयोग अप्रार्थीया के परिवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कभी भी नहीं किया गया है। प्रार्थीया द्वारा निगरानी आवेदन में दर्शाया गया पेढ़ी पत्रक व लिखित बहस में अंकित वंशावली सही है, लेकिन हंजारीमलजी का कोई मकान उपासरा गली जावाल में आया हुआ नहीं है और न ही कभी इस गली में उनका कब्जा अधिपत्य रहा है। जबकि सही हकीकत यह है कि उपासरा गली जावाल में अप्रार्थीया के पति अमीचंदजी का निजी मकान आया हुआ है, जिसके आधे हक हिस्से का पट्टा ग्राम पंचायत जावाल द्वारा अप्रार्थीया के नाम एवं शेष आधे हक हिस्से का पट्टा अप्रार्थीया के पुत्र मनीष के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 के तहत जारी किया हुआ है। निगरानी आवेदन में वर्णित परिसम्पत्ति पर कभी हंजारीमलजी या उनके शेष तीनों पुत्र देवीचंद, वालचंद व भंवरलाल का न तो कब्जा अधिकार रहा, न ही उपयोग उपभोग रहा है तथा जिस भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत जावाल द्वारा अप्रार्थीया के नाम से जारी किया है उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थीया के पति व अप्रार्थीया ने लगभग 15–20 साल पूर्व अपनी निजी आय से मकान निर्माण करवाया था जिसमें न तो हंजारीमलजी का व न ही उनके शेष तीनों पुत्रों में से किसी का कोई योगदान हैं तथा उस मकान पर सभी का संयुक्त कब्जा होने का तथ्य सर्वथा मनगढन्त हैं, यदि उक्त परिसम्पत्ति पर अप्रार्थीया के परिवार के अलावा किसी अन्य का कब्जा होता तो ग्राम पंचायत जावाल कभी भी अप्रार्थीया के नाम से उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी नहीं करती। अप्रार्थीया के ससुर हंजारीमलजी की पुश्तैनी सम्पत्ति गोल कालन्द्री रोड़ पर अम्बाजी माता मंदिर के पास आई हुई है जिसका पट्टा हंजारीमलजी ने अपने बडे पुत्र वालचंद व देवीचंद के नाम से अलग अलग जारी करवाये हुए है लेकिन उक्त सम्पत्ति आज भी हंजारीमलजी के सभी वारिसान की संयुक्त सम्पत्ति है तथा उसका उपयोग हंजारीमलजी के सभी वारिसान करते रहे है एवं अप्रार्थीया के पति भी उक्त पुश्तैनी सम्पत्ति का अपने जीवनकाल में उपयोग उपभोग करते रहे है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् अप्रार्थीया व उसके पुत्र भी अपनी उक्त पुश्तैनी सम्पत्ति पर आते जाते रहते है, परन्तु उक्त मकानों का विद्युत कनेक्शन हंजारीमलजी के नाम से होने से अप्रार्थीया को विद्युत बिल का भुगतान करने व बिल प्राप्त करने में परेशानी होने के कारण अप्रार्थीया ने उक्त बिल को अपने पुत्र के नाम करवाने के लिए प्रार्थना पत्र अवश्य प्रस्तुत किया है, परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र जिस भूखण्ड का पट्टा जारी किया है उससे संबंधित नहीं है बल्कि उक्त प्रार्थना पत्र उस विद्युत कनेक्शन से संबंधित है जिसके पट्टे वालचंद व देवीचंद के नाम से जारी किये हुए है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीया के पुराने गृह को विनियमित कर उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी किया है तथा अप्रार्थीया के दो पुत्र होने के कारण एक पट्टा अप्रार्थीया के पुत्र मनीष के नाम तथा छोटे पुत्र के हिस्से के मकान का पट्टा अप्रार्थीया स्वयं के नाम जारी करवाया है तथा उक्त मकान वर्तमान में निगरानी प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही अप्रार्थीया द्वारा विक्रय किया जा चुका है परन्तु प्रार्थी द्वारा जानबूझकर इस

......पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला ... न्यायालय *सिरोही*

मकान के वर्तमान स्वामी को इस निगरानी आवेदन में पक्षकार नहीं बनाया है जिससे पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण प्रार्थी का निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जावाल द्वारा जिस मकान का पट्टा जारी किया गया है वो उक्त मकान अप्रार्थीया का निजी मकान हैं। यह तथ्य सही है कि ग्राम पंचायत जावाल के स्थान पर नगरपालिका गठित हुई तथा अब पुनः वर्तमान में ग्राम पंचायत का गठन हो चुका है। जहां तक, ग्राम पंचायत जावाल द्वारा जारी पट्टो के संबंध में मुकदमें विचाराधीन होने का प्रश्न है, इस संबंध में जिला कलेक्टर, सिरोही ने दिनांक 01—01—2020 के बाद ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये सम्पूर्ण पट्टो की उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के जरिये जांच करवाये जाने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा भी अपनी जांच रिपोर्ट सतर्कता/33(14)( )बैठक/2021/185 दिनांक 13—12—.2021 में भी अप्रार्थीया को जारी पट्टे को नियमानुसार जारी होना माना हैं तथा इस पट्टे को जारी किये जाने में किसी भी प्रकार की अवैधता कारित नही हुई है, इस तथ्य की भी पुष्टि की है। ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थीया को जिस मकान मकान का पट्टा जारी किया है उस मकान में यदि प्रार्थी या हंजारीमलजी के अन्य वारिसान का कोई हक अधिकार होता तो वो अवश्य जिला कलेक्टर, सिरोही द्वारा गठित जाँच कमेटी के समक्ष उपस्थित होते और दस्तावेज प्रस्तुत करते परन्तु प्रार्थी ने जब अप्रार्थीया द्वारा मकान का विक्रय किया गया तो प्रार्थी के मन में लालच आने के कारण झूठे कथनों के आधार पर यह निगरानी आवेदन पेश किया है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए अप्रार्थीया को पट्टा जारी किया है तथा उक्त मकान निगरानी आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही विक्रय किया गया है जिसकी जानकारी प्रार्थी को प्रारम्भ से हैं परन्तु प्रार्थी ने जानबूझकर निगरानी आवेदन में झूठे तथ्य अंकित करवाये है तथा वर्तमान में उक्त मकान पर क्रेता का कब्जा हक अधिकार है। ऐसी स्थिति में उक्त मकान पर प्रार्थी या हंजारीमलजी के किसी अन्य वारिसान का कब्जा होने का कथन सर्वथा मनगढन्त है। अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि ग्राम जावाल के गोल कालन्द्री रोड़ पर अम्बाजी मंदिर के पास में प्रार्थी के दादा व अप्रार्थीया के ससुर हंजारीमलजी की पुश्तैनी सम्पत्ति व मकान आया हुआ है, जिसके पट्टे हंजारीमलजी ने अपने जीवनकाल में अपने बड़े पुत्रों के नाम से जारी करवाये है जिसमें से पट्टा संख्या 260 दिनांक 14—01—1984 को क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट का वालचंद पुत्र हंजारीमलजी के नाम से जारी किया हुआ है, पट्टा संख्या 261 दिनांक 14—01—1984 को क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट का देवीचंद पुत्र हजारीमलजी के नाम से जारी किया हुआ है, पट्टा संख्या 11 दिनांक 20—08—1974 को क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट का देवीचंद पुत्र हंजारीमलजी के नाम से जारी किया हुआ है एवं पट्टा संख्या 22 दिनांक 25—05—1972 को क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट का वालचंद पुत्र हजारीमलजी के नाम से जारी किया हुआ है। इस प्रकार, हंजारीमलजी के पुश्तैनी सम्पत्ति के पट्टे उपरोक्त अनुसार जारी किये हुए है परन्तु उक्त सम्पत्ति आज भी हंजारीमलजी के वारिसान की संयुक्त सम्पत्ति है जिसमें हंजारीमलजी के अन्य पुत्रों के साथ साथ अप्रार्थीया व उसके परिवार का भी 1/4 हक हिस्सा है परन्तु प्रार्थी व हंजारीमलजी के अन्य वारिसान उक्त सम्पत्ति में प्रार्थीया को हक हिस्सा नहीं देना चाहते है इसलिए अप्रार्थीया को ब्लैकमेल करने की बदनियति से उसके निजी मकान के जारी किये गये पट्टे के विरूद्ध यह निगरानी आवेदन मनगंढत कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी ने लिखित बहस में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 80/2022 का उल्लेख किया है वह एफ.आई.आर. गोचर भूमि व निजी खातेदारी भूमि में जारी पट्टा बुक संख्या 529 के पट्टा संख्या 48 व 49 के संबंध में

.....पेज सात पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

है, जबकि अप्रार्थीया को ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा जारी पट्टा संख्या 49 व अप्रार्थीया के पुत्र को जारी पट्टा संख्या 48 की पट्टा बुक संख्या 522 है। यह कि प्रार्थी चन्दन कुमार द्वारा अप्रार्थीया व उसके पुत्रों एवं अन्य के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही के न्यायालय में इस्तगासा अर्न्तगत धारा 420, 467, 468, 120 भारतीय दण्ड संहिता का प्रस्तुत किया था, जिस पर पुलिस थाना बरलुट में एफ.आई.आर. संख्या 76/2023 दिनांक 07–6–2023 को अर्न्तगत धारा धारा 420, 467, 468, 120 भारतीय दण्ड संहिता में अप्रार्थीया व उसके पुत्रों व अन्य के विरुद्ध दर्ज की गई। उक्त अपराध संख्या 76/2023 में पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान नतीजा एफ.आर. अदम वकू (झूठ) में पेश किया गया है एवं पुलिस थाना, बरलुट द्वारा उक्त अपराध संख्या 76/2023 की बाद अनुसंधान न्यायालय में प्रस्तुत अन्तिम परिणाम रिपोर्ट (एफ.आर. नम्बर 47/2023) में यह माना है कि हंजारीमल ने अपने चारों पुत्रों को अपने अपने हिस्से की जमीन दी थी जिसमें परिवादी के पिता बालचन्द द्वारा पूर्व में ही अपने हिस्से के मकान व भूखण्ड का ग्राम पंचायत, जावाल से पट्टा जारी करवाया है व अपने हिस्से की जमीन बेचान काफी वर्षो पहले की गई है तथा मनीष कुमार के पिता अमीचन्द का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नही होने से अपने हक हिस्से की भूमि का पट्टा जारी नही करवाये है एवं मनीष व भंवरीदेवी ने ग्राम पंचायत, जावाल से दिनांक 22–01–2021 को पट्टे जारी करवाये है। आरोपी मनीष को अपनी बहन चंचल की शादी हेतु रुपयों की आवश्यकता होने से उक्त भूखण्ड दिनांक 02–01–2023 को आशीष कुमार पुत्र मोहनलाल जैन, निवासी–जावाल व शाहिल कुमार पुत्र मोहनलाल जैन को बेचान कर दिया है। पुलिस ने बाद अनुसंधान जांच में यह भी माना है कि परिवादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में उक्त मकान अपने दादा के समय से उपयोग करना अंकित किया है, जबकि अनुसंधान में पाया गया कि उक्त आरोपी के पिता अमीचन्द के हक हिस्से में आना पाया गया है एवं उक्त मकान अमीचन्द व उसके परिवार वाले मनीष, भंवरीदेवी व दीपक ही रहते है। उक्त अपराध संख्या 76/2023 के अनुसंधान में पुलिस ने अन्तिम परिणाम में यह भी अंकित किया है कि परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में ग्राम विकास अधिकारी फाउलाल द्वारा गलत पट्टे पैसे खाकर जारी करना बताया है, जबकि ग्राम विकास अधिकारी फाउलाल के विरुद्ध पूर्व में दर्ज प्रकरण संख्या 80/2022 पुलिस थाना, बरलुट में गोचर भूमि में पट्टा जारी करने के संबंध में दर्ज होकर नतिजा चालान पेश हो चुका है मगर उक्त भूखण्ड पट्टा संख्या 48 व 49 मनीष व भंवरदीदेवी के नाम से आबादी भूमि में जारी हुये है। पुलिस ने अनुसंधान में यह भी प्रमाणित माना है कि अमीचन्द जी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नही होने से उन्होनें अपने हक हिस्से की जमीन व भूखण्ड का पट्टा नही बनाया था, अमीचन्द जी के दो पुत्र मनीष व दीपक तथा पत्नि भंवरी देवी ने दिनांक 22–01–2021 को पंचायत जावाल से अपने हिस्से के मकान व भूखण्ड का पट्टा संख्या 48 व 49 जारी करवाया है, उक्त पट्टे की कार्यवाही ग्राम पंचायत, जावाल की पुस्तक संख्या 522 में अंकित है तथा परिवादी का उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का कोई कब्जा व मकान में रहना नही पाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 (एक) के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा जिस सम्पत्ति से संबंधित पट्टों के संबंध में यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है उसी सम्पत्ति के बंटवाड़ का एक सिविल वाद संख्याः 01/2023, प्रार्थी के चाचा भंवरलाल व अन्य ने प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी भी पक्षकार है, ऐसी स्थिति मे उक्त सिविल वाद के लम्बित रहने के दौरान यह निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नहीं है। प्रार्थी द्वारा जिस सम्पत्ति के पट्टे को इस न्यायालय में चुनौती दी हैं वह उक्त सम्पत्ति संयुक्त है अथवा नही, इस तथ्य का निर्धारण सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता हैं परन्तु प्रार्थी जानबूझकर इस न्यायालय के जरिये अप्रार्थीया की निजी सम्पत्ति को पुश्तैनी बताकर संयुक्त सम्पत्ति घोषित करवाना चाहता हैं। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

....पेज आठ पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी भंवरीदेवी पत्नी अमीचन्द जी खण्ड़ेलवाल, निवासी– जावाल के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1960 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 49 दिनांक 22–3–2021 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत, जावाल की बैठक दिनांक 12–3–2021 के प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसरण में जारी किया गया है। संबंधित कानून, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100 / – रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान संनिर्मित पुराने गहों के लिये– 200 / – रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नई बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

इस संबंध में **प्रार्थी (निगरानीकार) का मुख्यतः कथन यह है कि** "प्रार्थी के दादा स्वर्गीय हंजारीमल पुत्र पुनमाजी, जाति खण्डेलवाल, निवासी जावाल के स्वामित्व व आधिपत्य का एक मकान उपासरा गली में आबादी क्षेत्र में आया हुआ है, जिसका विद्युत कनेक्शन प्रार्थी के दादा हंजारीमल के नाम से जारी किया हुआ है। हंजारीमल के पांच पुत्र थे, जिसमें रमेश कुमार की मृत्यु हो चुकी है। हंजारीमल के शेष चार पुत्र देवीचंद, वालचंद, अमीचंद व भंवरलाल थे, जिसमें से अमीचंद व वालचंद की मृत्यु हो चुकी है। वालचंद जी के पुत्र प्रार्थी सहित अन्य चार भाई भरत कुमार, राकेश कुमार व गिरीश है। अप्रार्थी भंवरीदेवी, अमीचंद की पत्नी है। उक्त सम्पत्ति हमारे दादा स्वर्गीय हंजारीमल पुत्र पुनमाजी के मालकी व स्वामित्व, आधिपत्य की है, तथा उनके जीवनकाल में ही हंजारीमल ने उक्त भूमि पर स्वअर्जित आय से मकान निर्माण करवाया हुआ है एवं विद्युत कनेक्शन अपने नाम से लिया था। स्वर्गीय हंजारीमलजी की मृत्यु दिनांक 24–05–2003 को हो चुकी है एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त सम्पत्ति वारिसान में सभी भाईयों को प्राप्त हुई है एवं सभी भाईयों का कब्जा, आधिपत्य है। प्रार्थी व्यवसाय हेतु बाहर जाता रहता है एवं अपने हक हिस्से अनुसार कमरे बांट कर सबने अपना–अपना सामान रखा हुआ है, लेकिन अप्रार्थी भंवरीदेवी व उसका पुत्र मनीष ग्राम जावाल में ही निवास करते है। प्रार्थी के दादा हंजारीमल की सम्पत्ति को हड़प करने हेतु अप्रार्थी भंवरीदेवी के पुत्र दीपक कुमार के द्वारा दादा हंजारीमल के नाम से लिया हुआ विद्युत कनेक्शन हटा कर स्वयं के नाम से विद्युत कनेक्शन झूठा शपथ पत्र पेश कर हमारे दादा हंजारीमल के नाम का विद्युत कनेक्शन अपने नाम पर करवाकर बाद में अप्रार्थी भंवरीदेवी ने जावाल ग्राम पंचायत के साथ मेल मिलाप कर पट्टा संख्या 49 दिनांक 22–3–2021 को अपने नाम से जारी करवा दिया, जो सर्वथा विधि विरुद्ध

......पेज नौ पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला न्यायालय सिरोही

है।" **जबकि अप्रार्थी भंवरीदेवी का यह कथन है कि** "हंजारीमलजी का कोई मकान उपासरा गली जावाल में आया हुआ नहीं है और न ही कभी इस गली में उनका कब्जा अधिपत्य रहा है। जबकि सही हकीकत यह है कि उपासरा गली जावाल में अप्रार्थी के पति अमीचंदजी का निजी मकान आया हुआ है, जिसके आधे हक हिस्से का पट्टा ग्राम पंचायत जावाल द्वारा अप्रार्थी भंवरीदेवी के नाम एवं शेष आधे हक हिस्से का पट्टा अप्रार्थी भंवरीदेवी के पुत्र मनीष कुमार के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 के तहत जारी किया हुआ है।" अप्रार्थी भंवरीदेवी का यह भी कथन है कि "ग्राम जावाल के गोल कालन्द्री रोड़ पर अम्बाजी मंदिर के पास में प्रार्थी के दादा व अप्रार्थी के ससुर हंजारीमलजी की पुश्तैनी सम्पत्ति व मकान आया हुआ है, जिसके पट्टे हंजारीमलजी ने अपने जीवनकाल में अपने बड़े पुत्रों के नाम से जारी करवाये है जिसमें से पट्टा संख्या 260 दिनांक 14–01–1984 को क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट का वालचंद पुत्र हंजारीमलजी के नाम से जारी किया हुआ है, पट्टा संख्या 261 दिनांक 14–01–1984 को क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट का देवीचंद पुत्र हजारीमलजी के नाम से जारी किया हुआ है, पट्टा संख्या 11 दिनांक 20–08–1974 को क्षेत्रफल 1800 वर्गफीट का देवीचंद पुत्र हंजारीमलजी के नाम से जारी किया हुआ है एवं पट्टा संख्या 22 दिनांक 25–05–1972 को क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट का वालचंद पुत्र हजारीमलजी के नाम से जारी किया हुआ है।"

प्रकरण में प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में अंकित उक्त कथन के समर्थन में श्री हंजारीमल पुत्र पुनमा जी जावाल के नाम से वर्तमान खाता संख्या 1601 / 0194 के जारी विद्युत बिल वर्ष 2019 की छाया प्रति व अप्रार्थी भंवरी देवी के पुत्र दीपक कुमार द्वारा ग्राम पंचायत, जावाल में उक्त खाता संख्या 1601 / 0194 का विद्युत बिल हंजारी पुत्र पूनमाजी के स्थान पर अपने नाम से स्थानान्तरण करवाने हेतु दिये गये शपथ पत्र दिनांक 03–3–2020 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। जबकि अप्रार्थी भंवरीदेवी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी निगरानी चन्दन कुमार द्वारा अप्रार्थी भंवरीदेवी व उसके पुत्रों एवं अन्य के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही के न्यायालय में एक इस्तगासा धारा 420, 467, 468, 120 भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रस्तुत किया था, जिस पर पुलिस थाना बरलुट में एफ. आई.आर. संख्या 76 / 2023 दिनांक 07–6–2023 को अर्न्तगत धारा धारा 420, 467, 468, 120 भारतीय दण्ड संहिता में अप्रार्थी भंवरीदेवी व उसके पुत्रों एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज की गई। उक्त अपराध संख्या 76 / 2023 में पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान नतीजा एफ.आर. अदम वकू (झूठ) में पेश किया गया है एवं पुलिस थाना, बरलुट द्वारा उक्त अपराध संख्या 76 / 2023 की बाद अनुसंधान न्यायालय में प्रस्तुत अन्तिम परिणाम रिपोर्ट (एफ.आर. नम्बर 47 / 2023) में साबित माना है कि हंजारीमल ने अपने चारों पुत्रों को अपने अपने हिस्से की जमीन दी थी जिसमें परिवादी के पिता वालचन्द द्वारा पूर्व में ही अपने हिस्से के मकान व भूखण्ड़ का ग्राम पंचायत, जावाल से पट्टा जारी करवाया है व अपने हिस्से की जमीन बेचान काफी वर्षो पहले की गई है तथा मनीष कुमार के पिता अमीचन्द का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नही होने से अपने हक हिस्से की भूमि का पट्टा जारी नही करवाये है एवं मनीष व भंवरीदेवी ने ग्राम पंचायत, जावाल से दिनांक 22–01–2021 को पट्टे जारी करवाये है। आरोपी मनीष को अपनी बहन चंचल की शादी हेतु रुपयों की आवश्यकता होने से उक्त भूखण्ड़ दिनांक 02–01–2023 को आशीष कुमार पुत्र मोहनलाल जैन, निवासी– जावाल व शाहिल कुमार पुत्र मोहनलाल जैन को बेचान कर दिया है। पुलिस ने बाद अनुसंधान जांच में यह भी माना है कि परिवादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में उक्त मकान अपने दादा के समय से उपयोग करना अंकित किया है, जबकि अनुसंधान में आरोपी के पति अमीचन्दजी के हक हिस्से में आना पाया गया है एवं उक्त मकान अमीचन्द व उसके

......पेज दस पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला न्यायालय * सिरोही *

परिवार वाले मनीष, भंवरीदेवी व दीपक ही रहते है। उक्त अपराध संख्या 76/2023 के अनुसंधान में पुलिस ने अन्तिम परिणाम में यह भी अंकित किया है कि परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में ग्राम विकास अधिकारी फाउलाल द्वारा गलत पट्टे पैसे खाकर जारी करना बताया है, जबकि ग्राम विकास अधिकारी फाउलाल के विरुद्ध पूर्व में दर्ज प्रकरण संख्या 80/2022 पुलिस थाना, बरलुट में गोचर भूमि में पट्टा जारी करने के संबंध में दर्ज होकर नतिजा चालान पेश हो चुका है मगर उक्त भूखण्ड़ पट्टा संख्या 48 व 49 मनीष व भंवरदीदेवी के नाम से आबादी भूमि में जारी हुये है। पुलिस ने अनुसंधान में यह भी प्रमाणित माना है कि अमीचन्द जी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नही होने से उन्होनें अपने हक हिस्से की जमीन व भूखण्ड़ का पट्टा नही बनाया था, अमीचन्द जी के दो पुत्र मनीष व दीपक तथा पत्नि भंवरी देवी ने दिनांक 22—01—2021 को पंचायत जावाल से अपने हिस्से के मकान व भूखण्ड़ का पट्टा संख्या 48 व 49 जारी करवाया है, उक्त पट्टे की कार्यवाही ग्राम पंचायत, जावाल की पुस्तक संख्या 522 में अंकित है तथा परिवादी का उक्त भूखण्ड़ पर किसी प्रकार का कोई कब्जा व मकान में रहना नही पाया गया है।

इस प्रकार, पुलिस थाना बरलुट द्वारा उक्त अपराध संख्या 76/2023 अर्न्तगत धारा 420, 467, 468, 120 भारतीय दण्ड़ संहिता के बाद अनुसंधान प्रस्तुत अन्तिम परिणाम रिपोर्ट (एफ.आर. संख्या 47/2023) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हंजारीमल ने अपने चारों पुत्रों को अपने अपने हिस्से की जमीन दी थी जिसमें प्रार्थी के पिता वालचन्द द्वारा पूर्व में ही अपने हिस्से के मकान व भूखण्ड़ का ग्राम पंचायत, जावाल से पट्टा जारी करवाया है व अपने हिस्से की जमीन बेचान काफी वर्षो पहले की गई है तथा अप्रार्थी भंवरीदेवी के पति अमीचन्द का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नही होने से अपने हक हिस्से की भूमि का पट्टा जारी नही करवाये है एवं मनीष व भंवरीदेवी ने ग्राम पंचायत, जावाल से दिनांक 22—03—2021 को पट्टे जारी करवाये है। आरोपी मनीष को अपनी बहन चंचल की शादी हेतु रुपयों की आवश्यकता होने से उक्त भूखण्ड़ दिनांक 02—01—2023 को आशीष कुमार पुत्र मोहनलाल जैन, निवासी—जावाल व शाहिल कुमार पुत्र मोहनलाल जैन को बेचान कर दिया है। पुलिस ने बाद अनुसंधान जांच में यह भी माना है कि अमीचन्द के हक हिस्से में आना पाया गया है एवं उक्त मकान अमीचन्द व उसके परिवार वाले मनीष, भंवरीदेवी व दीपक ही रहते है।

जहां तक, प्रार्थी निगरानीकार का यह कथन कि अप्रार्थी अप्रार्थी भंवरीदेवी व उसके पुत्र मनीष कुमार के हक में जारी पट्टा संख्या 49 व 48 पर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नही है? के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा पुलिस थाना, बरलुट में दर्ज करवाई गई एफ. आई.आर. संख्या 80/2022 की छाया प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा पट्टा बुक संख्या 529 के पट्टा संख्या 48 व 49 में सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नही होना बताया है, जबकि अप्रार्थी भंवरीदेवी पुत्र अमीचंद खण्डेलवाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 49 की पट्टा बुक नम्बर 522 है व अप्रार्थी भंवरीदेवी के पुत्र मनीष कुमार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 48 की पट्टा बुक नम्बर भी 522 है। इस प्रकार, प्रार्थी (निगरानीकार), निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी भंवरीदेवी द्वारा उक्त प्रश्नगत पट्टे की भूमि का अन्य व्यक्ति को बेचान करने की जानकारी प्रार्थी निगरानीकार को होने के बावजूद भी प्रार्थी निगरानीकार द्वारा संबंधित क्रेता को इस निगरानी प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है।

.....पेज ग्याहर पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में मुख्यतः विवाद, उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर कब्जे स्वामित्व व हक अधिकारों का है एवं सम्पति पर कब्जे स्वामित्व व हक अधिकारों को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार हस्तगत निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 12 सितम्बर, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही *